अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से..तक

जिला.., सं०.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किरा तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
08/08/2023	(see below)	

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-19/2023

श्रीमती लक्ष्मी महतों.........................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद श्रीमती लक्ष्मी महतों, पति-सूरज कुमार, सा0-सिमराहा, वार्ड नं0-06, थाना+जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-22409/2018 में दिनांक 09.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा ग्राम पंचायत-भेलवा, प्रखंड-मधेपुरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु किये गये चयन के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादी के द्वारा समर्पित वाद-पत्र में उनका मूल रूप से कहना है कि दिनांक 05.08.2017 को मधेपुरा जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भेलवा के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु 01(एक) रिक्त स्थान पर वादी के अतिरिक्त तीन अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया, जिसमें 01(एक) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, 01(एक) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला), 01(एक) अनारक्षित वर्ग तथा 01(एक) अन्य अज्ञात श्रेणी के अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, जिसकी मेधासूची प्रकाशित की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र यथा- मैट्रिक एवं इन्टर का प्रमाण-पत्र, कम्प्यूटर सक्षमता का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उनके आवेदन की जाँच की गई तथा चयन हेतु अनुशंसा गई। तत्पश्चात भेलवा पंचायत के लिए औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें वादी का नाम क्रमांक-03 पर था, किन्तु अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया गया कि वार्ड नं0-06 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु एक ही परिवार से दो व्यक्तियों के

द्वारा आवेदन किये जाने के कारण उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। वादी का कहना है कि भेलवा पंचायत के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित स्थान के लिए औपबंधिक मेधासूची के क्रमांक-01 पर अनिल कुमार का नाम प्रकाशित किया गया, जबकि उनके द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान/अनुभव का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। वादी का कहना है कि प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-2 में स्पष्ट उल्लेख है कि कम्प्यूटर ज्ञान वाले अभ्यर्थी को जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही पुनरीक्षकर्त्ता का यही भी कहना है कि चयंनित डीलर विपक्षी सं0-06 के आवेदन से स्प्ष्ट है कि वे वार्ड नं0-07 के निवासी है। वार्ड नं0-07 में पूर्व से ही जन वितरण प्रणाली का दुकान है। अतः नियमानुसार उक्त वार्ड के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु उनका चयन किया जाना सही नहीं है। मेधासूची तथा आवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा एक वर्ष के कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, जबकि विपक्षी सं0-06 के द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही अपने आवेदन में भी कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कंडिका के समक्ष क्रॉस किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि औपबंधिक मेधासूची के विरूद्ध उनके द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद उनके आपत्ति को संज्ञान में लिये बिना जिला चयन समिति के द्वारा दिनांक 23.09.2018 को अंतिम मेधासूची का प्रकाशन कर दिया गया, जिसके आधार पर विपक्षी सं0-06 अनिल कुमार का चयन भेलवा पंचायत में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए कर दिया गया। तत्पश्चात पुनः उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी गई, किन्तु उसपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए विपक्षी सं0-06 का चयन कर दिया गया। तदालोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा जिला चयन समिति के द्वारा विपक्षी सं0-06 के चयन को रद्द करते हुए उच्चतर योग्यता तथा कम्प्यूटर ज्ञान होने के आधार पर उनका चयन करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-06 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर/जबाव तथा उनके विद्व अधिवक्ता के द्वारा बहस में भाग लेते हुए उल्लेख किया गया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत अनुमंडल+प्रखंड मधेपुरा के ग्राम पंचायत-भेलवा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु प्राप्त सभी आवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा के द्वारा मेधासूची का प्रकाशन किया गया, जिसके क्रमांक-01 पर विपक्षी का नाम दर्ज था। विपक्षी के अनुसार प्रकाशित मेधासूची में यह अंकित किया गया है कि डीलर रहित वार्ड 01,03,07,08,09 एवं 10 है जबकि पूर्व से कार्यरत डीलर का वार्ड नं0-02, 05 एवं 06 दर्शाया गया। मेधासूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्त्ता वार्ड नं0-06 की रहने वाली है, जबकि विपक्षी वार्ड नं0-07 को रहने वाला है। समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा निकाले गये विज्ञापन के नोट में आवेदन के लिए अन्य शर्त्त दर्शाया गया है, जिसके कंडिका-2 में वर्णित है कि

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिस वार्ड में पूर्व से पी0डी0एस0 दुकान कार्यरत है, उस वार्ड से आवेदन प्राप्त नहीं किये जाएँगे। इन वार्डो से प्राप्त आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। चूँकि पुनरीक्षणकर्त्ता वार्ड नं0-06 से है तथा वार्ड नं0-06 में पूर्व से पी0डी0एस0 दुकान है, इसलिए चयन समिति द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता को चयन की अर्हता से अयोग्य पाते हुए उन्हें चयन से वंचित करते हुए विपक्षी के चयन हेतु अन्तिम मेधासूची का प्रकाशन किया गया। तदालोक में चयनोपरान्त विपक्षी को अनुज्ञप्ति निर्गत की गई, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं है। विपक्षी सं0-06 का यह भी कहना है कि वाद पत्र के कंडिका-01 में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा वर्णित किया गया है कि वह स्नातक उत्तीर्ण है जबकि कंडिका-5 में उसने यह स्वीकार किया है कि वह मात्र इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण है। विपक्षी के अनुसार पुनरीक्षणकर्त्ता का यह कहना है कि विपक्षी सं0-06 के पास कम्प्यूटर योग्यता नहीं है, सरासर गलत है क्योंकि उनके द्वारा अपना सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन किया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन को एक ही परिवार से दो आवेदन होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा जिला चयन समिति के समक्ष विचार करने हेतु अनुशंसा नहीं की गयी, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-11(i) के अनुसार सही नहीं है क्योंकि उक्त कंडिका में वर्णित है कि "एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी"। वादी के परिवार में पूर्व से जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति/दुकान होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही समाहरणालय, मधेपुरा के विज्ञापन के नोट में उद्धृत - आवेदन के लिए अन्य शर्तो की कंडिका-2 के अनुसार "ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिस वार्ड में पूर्व से पी0डी0एस0 दुकान कार्यरत है उस वार्ड से आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अनुसार नहीं है। उक्त आदेश की कंडिका-9(XI) में प्रावधानित है कि "उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा"। उक्त के आलोक में जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा ग्राम पंचायत-भेलवा, प्रखंड+अनुमंडल+जिला-मधेपुरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु श्री अनिल कुमार, पिता-गोपी साह के चयन को बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाते हुए रद्द किया जाता है तथा श्रीमती लक्ष्मी महतों, पति-सूरज कुमार के आवेदन को नियमानुकूल पाते हुए उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा कम्प्यूटर ज्ञान की प्राथमिकता के आधार चयनित घोषित किया जाता है। तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को आवश्यक कार्रवाई करने

	का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें। लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल. सहरसा। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल. सहरसा।	

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3182 /विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-19/2023 में दिनांक-08.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 183/आ0, दिनांक 15.03.2023 एवं पत्रांक 605/आ0 दिनांक 07.08.2023 (कुल-139 पन्ना मूल में) से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती लक्ष्मी महतो, पति-सूरज कुमार, सा0-सिमराहा, वार्ड नं0-06 / अनिल कुमार, पिता-गोपी साह, सा0-सिमराहा, वार्ड नं0-07 पति-सरोज कुमार, दोनों थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।